राजस्व अपील संख्या : 27 / 2025
उनवान : कोसी देवी बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27 / 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025 / 124

अपीलाण्ट :–

कोसीदेवी पुत्री स्व. समाराम (पत्नी धन्नाराम) जाति कुम्हार निवासी बेड़ा हाल निवासी सेन्दला तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. मोहनलाल पुत्र स्व. समाराम जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
2. दलपतराम पुत्र स्व. समाराम जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
3. भंवरलाल पुत्र स्व. समाराम जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
4. मदनलाल पुत्र स्व. समाराम जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
5. चंदा देवी पुत्र स्व. समाराम (पत्नी बाबुलाल) जाति कुम्हार निवासी भाटुन्द तह. बाली जिला पाली राज.
6. सीता पुत्री स्व. समाराम (पत्नी धर्माराम) जाति कुम्हार निवासी भाटुन्द तह. बाली जिला पाली राज.
7. स्व. रमेश कुमार पुत्र समाराम के विधिक उत्तराधिकारी :–
   7.1 कमला देवी पत्नी स्व. रमेश कुमार निवासी बेडा, तह. बाली जिला पाली राज.
   7.2 नरेश कुमार पुत्र स्व. रमेश कुमार निवासी बेडा, तह. बाली जिला पाली राज.
   7.3 दीपाकुमारी पुत्री स्व. रमेश कुमार (पत्नी दीपक कुमार) निवासी नाणा तह. बाली जिला पाली राज.
   7.4 पिंकी कुमारी स्व. रमेश कुमार (पत्नी भूपेन्दर) जाति कुम्हार निवासी भंदर तह. बाली जिला पाली राज.
8. पोनकी उर्फ पानी पुत्री स्व. समाराम (पत्नी हिराराम) जातिगण कुम्हार निवासीगण बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.
9. उपतहसीलदार बेड़ा जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध बेड़ा द्वीतीय के नामान्तरकरण संख्या 1399 जो उपतहसीलदार बेडा द्वारा दिनांक 08.07.2015 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 27/2025

उनवान : कोसी देवी बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगाय 06 व 7.1 लगाय 7.4 व 08 की ओर से अधिवक्ता श्री हनवन्त सिंह राणावत।

–:निर्णय:–

दिनांक: 12.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **बेड़ा द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 1399 जो उपतहसीलदार बेडा द्वारा दिनांक 08.07.2015 को स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेड़ा पटवार हल्का द्वितीय तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर रकब क्रमश : खसरा नम्बर 2618 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2619 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3501 रकबा 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3502 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3503 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3504 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3506 रकबा 1.6200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3507 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3508 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3509 रकबा 1.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3510 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3511 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3512 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3513 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3514 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3515 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3516 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3517 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3518 रकबा 0.3500 हैक्टेयर कुल रकबा 12.3500 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 2618, 2619, 3501 लगाय 3504, 3506 लगाय 3518 की कुल रकबा 12.3500 हैक्टेयर में अपीलार्थी के पिता स्व. समाराम का 1/8 हिस्सा आता था यानि कुल क्षेत्रफल 12.3500 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा के सहखातेदार समाराम पुत्र भीकाजी जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली का स्वर्गवास दिनांक 19.06.2015 को निर्वसीयति होने पर उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1399 को खोले जाने के कारण छोगीदेवी पत्नी समाराम,मोहनलाल, रमेश कुमार, दलपत कुमार, भंवरलाल, मदनलाल, पिता समाराम, पोनकी, सीता, चंदा, शारदा पुत्रिया समाराम सहित उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1399 हल्का पटवारी बेडा द्वीतीय द्वारा दिनांक 08.07.2015 को खोला जाकर रेस्पोडेण्ट उपतहसीलदार बेड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थी संख्या एक का नाम कोसीदेवी की बजाय शारदा का अंकन किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 1399 में मृत समाराम पुत्र भीकाजी के उत्तराधिकार की सीमा तक व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील पेश की।

यह कि ग्राम बेड़ा पटवार हल्का बेड़ा द्वितीय तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 2618, 2619, 3501 लगाय 3504, 3506 लगाय 3518 की कुल रकबा 12.3500 हैक्टेयर में अपीलार्थी के पिता स्व. समाराम का 1/8 हिस्सा आता था यानि कुल क्षेत्रफल 12.3500 हैक्टेयर स्थित उक्त कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा के सहखातेदार समाराम पुत्र भीकाजी जाति कुम्हार निवासी बेड़ा तहसील बाली का स्वर्गवास दिनांक 19.06.2015 को निर्वसियति होने से उनके वारिसान् अपील मीमों सलंग्न अनुसार है।

1. यह है कि जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण में अपीलार्थी संख्या एक का नाम गलत तौर से शारदा पुत्री स्व. समाराम अंकन किया गया है। जबकि सही नाम कौसीदेवी पुत्री स्व. समाराम है। प्रमाण में अपीलार्थी संख्या एक कोसीदेवी के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड की प्रति सलंग्न है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 27 / 2025
उनवान : कोसी देवी बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2. यह कि अपीलार्थी संख्या एक का वास्तविक नाम कौसीदेवी पुत्री स्व. समाराम है। उक्त जैर आलोच्य नामान्तरकरण मे गलत तौर से कोसीदेवी पुत्री स्व. समाराम के बजाय शारदा अंकित किया गया है। स्व. समाराम पुत्र भीकाजी एवं स्व. छोगीदेवी पत्नी समाराम के वैवाहिक जीवन से पैदा हुए सन्तानों का नाम क्रमशः मोहनलाल (पुत्र) रमेश कुमार (पुत्र) दलपतकुमार (पुत्र) भवरलाल (पुत्र) मदनलाल (पुत्र) पोनकी उर्फ पानी (पुत्री) सीता चन्दा (पुत्री) कोसी (पुत्री) हुए। प्रमाण में आधार कार्ड, आरएजीबी बैंक में स्थित खाता की बैंक डायरी की प्रति सलंग्न है। ग्राम बेड़ा के कृषि भूमि के उत्तराधिकार नामान्तरकरण की प्रति पेश है।
3. यह कि अपीलार्थी संख्या एक कौसी देवी का नाम गलत तोर से शारदा अंकित किया गया है जबकि सही नाम कौसीदेवी पुत्री समाराम है। स्व. समाराम पुत्र भीकाजी एवं छोगीदेवी पत्नी समाराम के चार पुत्रिया है जिसमें से कौसीदेवी का नाम गलत अंकन हुआ है एवं कौसीदेवी विवाहित है। जिसके पति का नाम धनाराम है। प्रमाण में कौसीदेवी के आधार कार्ड, राशन कार्ड भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की प्रतियां सलंग्न है।
4. यह है किअपीलार्थी के सी.सी. किसान केडिट कार्ड हेतु 20 मई 2025 को खतौनी जमाबंदी नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का बेड़ा द्वितीय के पास गयी तो वहा अपीलार्थी का नाम गलत दर्ज होने पर अपीलार्थी द्वारा इन्द्राज संशोधन हेतु आवेदन पटवारी बेड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस आवेदन पर हल्का पटवारी से जांच कराने पर जांच के दौरान नामान्तरकरण संख्या 1399 की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.05.2025 को प्राप्त हुई जो सलंग्न कर दिनांक 22.05.2025 को पटवारी हल्का बेड़ा द्वितीय द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में उक्त "पटवारी की रिपोर्ट पर विधिक सलाहाकार से सलाह के आधार पर प्रार्थी के नाम में अशुद्धि नाम दायर करते वक्त हुई है। अतः प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अपील कर अनुतोष प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नही होने जाने पर दिनांक 22.05.2025 को नामान्तरकरण संख्या 1399 की प्रथम बार जानकारी होने से उक्त अपील बिना देरी के पेश है।

यह कि समाराम पुत्र भीकाजी कुम्हार निवासी बेड़ा का देहान्त 19.06.2015 को निर्वसीयती हुआ है। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्व. समाराम क कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक से आठ है।जिनको उत्तराधिकारी के तहत सहखातेदारी के हक हकूक विधिक तौर से ग्राम बेड़ा पटवार हल्का बेड़ा तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2618, 2619, 3501 लगाय 3504, 3506 लगाय 3518 की कुल रकबा 12.3500 हैक्टेयर में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट के पिता स्व. समाराम का 1/8 हिस्सा आता था यानि कुल क्षेत्रफल 12.3500 हैक्टेयर स्थित उक्त कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा के सहखातेदार समाराम पुत्र भीकाजी जाति कुम्हार निवासी बेडा तहसील बाली को प्राप्त हुए। हाल जमाबंदी में अंकित हिस्सा स्व. समाराम के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक से आठ के उत्तराधिकारी हिस्सा के बारे में अलग से कार्यवाही की जाएगी। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बेड़ा पटवार हल्का बेड़ा द्वीतीय तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1399 स्वीकृत दिनांक 08.07.2015 बाबत समाराम पुत्र भीकाजी जाति कुम्हार निवासी बेडा तहसील बाली के उत्तराधिकारी की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय आठ के नाम खोला जाकर भू अभिलेख अधिकारी अभिलेखो में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय आठ का नाम अंकन किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 27/2025
उनवान : कोसी देवी बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

रेस्पाडेण्ट संख्या 01 लगायत 08 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 09 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1399 की मूल परत तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगाय 08 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. अपीलार्थी कोसीदेवी पुत्री समाराम जाति कुम्हार निवासी बेड़ा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय अन्तिम की सगी बहन हैं। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 08 के परिवार में शारदा नाम का कोई स्वर्गीय समाराम के उत्तराधिकारी नहीं हैं।
2. यह कि राजस्व रिकॉर्ड में शारदा के स्थान पर कोसीदेवी किया जावे तो रेस्पोडेण्ट संख्या 01 लगाय अंतिम को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अपील अपीलार्थी की स्वीकार फरमावें।
वक्त बहस काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि अपीलार्थीया के पिता स्व. समाराम पुत्र भीखाजी की मृत्यु पर स्वीकृत आलोच्य फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1399 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा राजस्व अभिलेख में अपीलार्थीया का नाम शारदा पुत्री समाराम के रुप में दर्ज किया गया जबकि अपीलार्थीया का सही नाम कोसीदेवी है जो कि अपील मीमों के सलंग्न प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों से प्रमाणित है। उपतहसीलदार बेड़ा द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलार्थिया के नाम के सम्बन्ध में बिना सम्यक जांच किए ही त्रुटिपूर्ण नाम अंकन की तस्दीक की गई, जिस कारण जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1399 अपास्त करते हुए शारदा पुत्री समाराम के स्थान पर अपीलार्थिया का वास्तविक नाम कोसीदेवी पुत्री समाराम का इन्द्राज किया जाए।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों के सलंग्न एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर सशपथ कथन किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1399 दिनांक 08.07.2015 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.05.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर हुई, अतः देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाए। चुंकि उक्त मियाद प्रार्थना पत्र को अप्रार्थीपक्ष द्वारा कोई खण्डन एवं प्रतिकार नहीं किया गया है एवं पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर कोई प्रतिकुल उपधारणा कायम की जा सके।

अतः मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए विचाराधीन अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

अपीलार्थिया द्वारा इस अपील के माध्यम से उपतहसीलदार बेड़ा द्वारा स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1399 दिनांक 08.07.2015 को इस आधार पर चुनौति प्रस्तुत की है कि स्व. समाराम पुत्र भीखाजी कुम्हार की मृत्यु होने पर ग्राम बेड़ा द्वितीय में स्थित उनके 1/8 वें हिस्से की खातेदारी आराजी का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थिया का नाम त्रुटिवश शारदा पुत्री स्व. समाराम अंकित किया गया, जबकि अपीलार्थिया का वैध एवं वास्तविक नाम कोसीदेवी पुत्री स्व. समाराम है। प्रार्थिया द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों की प्रतियों से भी प्रथमदृष्टया यही प्रतीत होता है तथा अप्रार्थीगण अर्थात् स्व. समाराम के अन्य वारिसदारों/सहखातेदारों द्वारा भी ज़रिए अधिवक्ता लिखित जवाबपत्र में इस तथ्य की तस्दीक की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत सहमति के आधार पर पटवार मण्डल बेड़ा द्वितीय से सम्बन्धित ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1399 दिनांक 08.07.2015 को अपीलार्थिया के नाम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 27/2025
उनवान : कोसी देवी बनाम मोहनलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

में हुई टंकणीय त्रुटि के एकमात्र आधार पर एवं उसी हद तक अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपतहसीलदार बेड़ा को पुनः प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वैध एवं मूल पहचान दस्तावेजों के आधार पर जांच कर स्व. समाराम की पुत्री के रुप में दर्ज श्रीमती शारदा का सही नाम अंकित करते हुए नये सर नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रभाव में लावें।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला पाली